



बिहार में रोजगार सृजन : एक अध्ययन ।

राकेश कुमार

Research (Ph.D) Scholar

University Department of Economics L.N.M.U., Darbhanga.

(प्रोफेसर) डॉ.हिमांशु शेखर

Supervisor University Department of Economics L.N.M.U., Darbhanga.

Abstract (सारांश)

बिहार में रोजगार की समस्या एक बड़ी चुनौती है। यहां शिक्षित युवाओं की स्थिति और भी दयनीय है। शिक्षित युवा उच्च शिक्षा हासिल करके भी रोजगार के लिए मोहताज रहते हैं। एक चतुर्थवर्गीय सेवा के लिए भी उच्च डिग्री धारी लोग आवेदन करते हैं। औद्योगिकरण के अभाव के कारण यहां रोजगार की समस्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। पहले कुछ कृषि आधारित उद्योग कार्यरत थे जो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते थे परंतु वह भी अब बंद अवस्था में है। बिहार की अधिकांश जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है, लेकिन बार-बार बाढ़ आने के कारण कृषि क्षेत्र में भी रोजगार की संभावना कम हो गई है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षित युवाओं को रोजगार सृजक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1993 में पीएम आरवाई तथा वर्ष 1995 में आरईजीपी योजना स्थापित की गई। इन दोनों योजनाओं को वर्ष 2008 में मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना नाम दिया गया। यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर तथा प्रशिक्षण देकर उद्यम स्थापित कराती है, जिससे युवाओं को तो रोजगार मिलता ही है साथ ही वे अन्य युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार युवा रोजगार सृजक हो जाते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ा का प्रयोग किया गया है ,जिसे MSME annual report से प्राप्त किया गया है। ग्राफ एवं चार्ट के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

Keyword (बीज शब्द):—बेरोजगारी ,जनसंख्या ,रोजगार सृजन।

Introduction (परिचय) :-

बिहार में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इसका मूल कारण है बिहार में रोजगार पर आधारित शिक्षा का अभाव। यदि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए तथा पूंजी उपलब्ध कराया जाए तो बेरोजगारी की समस्या का हल आसानी से निकल सकता है। इससे संबंधित ऋण योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, इसके अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देकर ऋण उपलब्ध कराई जाती है। ऋण योजना में सबसे पहले गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ की गई इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को जिनकी शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास हो को 2 लाख से 10 लाख ₹ तक ऋण उपलब्ध कराती है ,जिसमें 15% सब्सिडी भी दी जाती है। इसमें व्यवसाय के लिए दो लाख सेवा क्षेत्र के लिए पांच लाख तथा दो या दो से अधिक लोगों के समूह को 10 लाख रुपए तक की ऋण उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत आरक्षण नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्थापना की गई। इसमें भी लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए

से 25 लाख रुपए तक रखी गई इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 5% योगदान देना पड़ता था तथा सामान्य लाभार्थी को 10% का योगदान देना पड़ता था। इन दोनों योजनाओं (प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना) को जोड़ करके वर्ष 2008 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्थापना की गई।

सारणी –1

| प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी | लाभार्थियों का योगदान (कुल लागत का) | सब्सिडी की दर (कुल लागत का) | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------|
| | | शहरी | ग्रामीण |
| क्षेत्र | | | |
| सामान्य श्रेणी | 10% | 15% | 25% |
| आरक्षित श्रेणी | 05% | 25% | 35% |

स्रोत:—केवीआइसी वार्षिक रिपोर्ट 2015–16

ऊपर अंकित सारणी –1 से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी की व्यवस्था है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्र में अलग-अलग सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें आरक्षण का भी पालन किया जाता है, इसलिए शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लाभार्थी को कुल लागत का 15% सब्सिडी दी जाती है तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सामान्य वर्ग के लाभार्थी को कुल लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। सामान्य वर्ग के लाभार्थी को कुल लागत का 10% स्वयं योगदान करना पड़ता है। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग के लाभार्थी जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें कुल लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को कुल लागत का 35% सब्सिडी दी जाती है। आरक्षित वर्ग के लोगों को कुल लागत का 5% स्वयं योगदान करना पड़ता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए 25 लाख रुपए तक की ऋण प्रदान की जाती है तथा व्यवसाय के लिए ₹10 लाख तक ऋण प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उनमें उद्यमिता कौशल का विकास कर उन्हें रोजगार सृजक बनाना है।

Review of literature (साहित्य समीक्षा):—

शुक्ला तथा मिश्रा (2013) ने अपने शोध अध्ययन में बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम गरीबी मिटाने में कारगर है, परंतु भ्रष्टाचार तथा अशिक्षा इसके विकास में बाधा है। इस प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की सफलता के लिए इनके बाधाओं यथा इस में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना होगा, इसे दूर करने के लिए सरकारी प्रयास की आवश्यकता है साथ-ही-साथ लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करने की भी आवश्यकता है। अतः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।

गुप्ता (2013) ने अपने शोध में बताया कि लाभार्थियों के आत्मनिर्भरता में तथा आर्थिक स्थिति में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सफल योजना है। परंतु ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। इससे बहुत कम लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है साथ ही साथ प्रशिक्षण को और कारगर बनाने की आवश्यकता है।

Research methodology (शोध प्रविधि):—

- आंकड़ों का संग्रहण:—शोध पत्र में शोध से संबंधित आंकड़ों को MSME annual report से प्राप्त किया गया है।
- प्राथमिक/द्वितीयक आंकड़ा:—प्रस्तुत शोध-पत्र में केवल द्वितीयक आंकड़ा का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ा का प्रयोग नहीं किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण सारणीय, वर्गीकरण एवं ग्राफीय प्रदर्शन द्वारा किया गया है।

Hypothesis (शोध परिकल्पना):—

- बिहार में रोजगार सृजन की दृष्टि से प्रधानमंत्री रोजगार योजना की तुलना में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का प्रदर्शन काफी अच्छा है।
- विगत कुछ वर्षों में बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है।

Analysis and discussion (विश्लेषण):—

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तुरंत बाद लाई गई इसलिए दोनों की तुलना करने के लिए हमें अलग-अलग समय अंतराल का प्रयोग करना पड़ेगा एक समय अंतराल में दोनों का अध्ययन करना असंभव है।

सारणी –2

| वर्ष | पीएमआरवाई में रोजगार की संख्या | वर्ष | पीएमईजीपी में रोजगार की संख्या |
|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 2003-04 | 3820 | 2008-09 | 58735 |
| 2004-05 | 5050 | 2009-10 | 67630 |
| 2005-06 | 11440 | 2010-11 | 5975 |
| 2006-07 | 12330 | 2011-12 | 15420 |
| 2007-08 | 6790 | 2012-13 | 2175 |
| कुल | 39430 | कुल | 149935 |

स्रोत :- MSME annual report


उपर्युक्त सारणी-2 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का अध्ययन वर्ष 2003-04 से 2007-08 लिया गया है, वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का अध्ययन वर्ष 2008-09 से 2012-13 लिया गया है। दोनों योजनाओं में अध्ययन वर्ष में रोजगार सृजन के संख्या की तुलना की गई है। सारणी-2 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतिम 5 वर्ष की तुलना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के शुरुआती 5 वर्ष से की गई है। सारणी का अध्ययन कर हम पाते हैं कि वर्ष 2003-04 में पीएम आर वाई योजना के अंतर्गत 3820 रोजगार का सृजन हुआ है, वहीं वर्ष 2008-09 में पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 58735 रोजगार का सृजन हुआ है। इसी तरह वर्ष 2004-05 में पीएमआरवाई योजना के अंतर्गत 5050 रोजगार का सृजन हुआ है, वहीं 2009-10 में पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 67630 रोजगार का सृजन हुआ है। इसी प्रकार, वर्ष 2005-06 में पीएमआरवाई योजना के अंतर्गत 11440 रोजगार का सृजन हुआ है, वहीं वर्ष 2010-11 में पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 5975 रोजगार का सृजन हुआ है। वर्ष 2006-07 में पीएमआरवाई योजना के अंतर्गत 12330 रोजगार का सृजन हुआ है, वहीं वर्ष 2011-12 में पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 15420 रोजगार का सृजन हुआ है। ठीक इसी प्रकार, पीएमआरवाई योजना के अंतिम वर्ष 2007-08 में 6790 रोजगार का सृजन हुआ है, वहीं वर्ष 2012-13 में पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 2175 रोजगार का सृजन हुआ है। इस प्रकार सारणी -2 के अध्ययन से हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतिम 5 वर्षों में कुल 39430 रोजगार का सृजन हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के शुरुआती 5 वर्षों में कुल 149935 रोजगार का सृजन हुआ है। अतः रोजगार सृजन की दृष्टि से प्रधानमंत्री रोजगार योजना की तुलना में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का प्रदर्शन काफी अच्छा है।

सारणी –3

| वर्ष | पीएमईजीपी में रोजगार की संख्या |
|---------|--------------------------------|
| 2013-14 | 20040 |
| 2014-15 | 1193 |
| 2015-16 | 11790 |
| 2016-17 | 15455 |
| 2017-18 | 10660 |
| 2018-19 | 35170 |
| 2019-20 | 23380 |

स्रोत :- MSME annual report

5ग्राफ-1



ऊपर अंकित सारणी-3 एवं ग्राफ-1 से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में कुल 20040 रोजगार का सृजन हुआ है, वर्ष 2014-15 में 1193 हुआ है, वर्ष 2015-16 में 11790 रोजगार का सृजन हुआ है, वर्ष 2016-17 में 15455 रोजगार का सृजन हुआ है, वर्ष 2017-18 में 10660 रोजगार का सृजन हुआ है, वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में 35170 रोजगार का सृजन हुआ है तथा वर्ष 2019-20 में 23380 रोजगार का सृजन हुआ है। इस प्रकार, सारणी एवं ग्राफ से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन में केवल वृद्धि नहीं हुई है वरन्, उसमें कभी-कभी कमी भी आई है।

सीमाएं (limitation):-

शोध पत्र में बिहार राज्य में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2019-20 के बीच प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत होने वाले रोजगार सृजन की संख्याओं का अध्ययन किया गया है। इसमें प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग नहीं करते हुए केवल द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

Recommendations:-

- (i) रोजगार सृजन की संख्या में वृद्धि करने के लिए लाभार्थियों की संख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- (ii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना जन-जन तक पहुंचे इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है।
- (iii) नुककड़ नाटक की सहायता से सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऋण योजनाओं की व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।
- (iv) राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसे और भी विभिन्न प्रकार की सब्सिडी युक्त तथा कम ब्याज दर पर ऋण देने वाली योजना बनाने तथा उसे लागू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष (conclusion) :-

सारणी एवं ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक कुल 5 वर्षों में मात्र 39430 (संख्या में) रोजगार का सृजन हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक कुल 5 वर्षों में 1,49,935 (संख्या में) रोजगार का सृजन हुआ है। इस प्रकार कुल 5 वर्षों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार की संख्या से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित रोजगार की संख्या 1,10,505 अधिक है, इस प्रकार बिहार में रोजगार सृजन की दृष्टि से प्रधानमंत्री रोजगार योजना की तुलना में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का प्रदर्शन काफी अच्छा है। सारणी -3 से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक रोजगार सृजन में केवल वृद्धि ही नहीं हुई है वरन्, उसमें कभी-कभी कमी भी आई है।

References

- (i) Shukla & Mishra (2013). July -August. Employment generation and poverty alleviation in developing countries challenges and opportunity .IOSR journal of business and management, (11),18 23.
- (ii) Gupta.(2013). The impact of development programmes on the interpreneurial institute of potential entrepreneurs in Raipur City.6 (4).
- (iii) शर्मा, डॉ विनय मोहन.(2018). शोध प्रविधि. दिल्ली : मयूर बुक्स.
- (iv) वर्णवाल, महेश कुमार .(2018). भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली : कॉसमॉस पब्लिकेशन.
- (V) सिंह, संतोष .(2007). प्रतियोगिता दर्पण बेरोजगारी : भारतीय सुरक्षा को एक संभावित खतरा. आगरा :उपकार प्रकाशन.
- (vi) यादव ,सुबे सिंह.(2005). कुरुक्षेत्र : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 53(6).
- (vii) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग .(2014). रोजगार सृजन.

Websites:-

<https://msme.gov.in>

<https://www.kviconline.gov.in>

<https://kvibbihar.com>

